भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1632

10 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कवरेज

1632. श्री तिरुची शिवा:

श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय एफसीआई के पुनर्गठन के संबंध में उच्च स्तरीय समिति (2015) द्वारा अनुशंसित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कवरेज को घटाकर जनसंख्या के 40 प्रतिशत तक करने का इरादा रखता है;

(ख) क्या मंत्रालय लक्षित पीडीएस के अंतर्गत पिछली पात्रता के अनुरूप बीपीएल परिवारों के लिए खाद्यान्न आवंटन को बढ़ाकर 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करने पर विचार कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उचित मूल्य की दुकानों में स्वचालित यंत्र लगने के बाद बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफलताओं के मामलों जिनके कारण विशेष रूप से बुजुर्ग लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है जो ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत तक कवर करती है और जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति है।

वर्तमान में 81.35 करोड़ वांछित कवरेज के निमित्त इस अधिनियम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 80.67 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु चिन्हित किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवरेज को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है।

...2/-

(ख): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों की पहचान दो श्रेणियों में की गई है-अंत्योदय अन्न योजना परिवार (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवार जबकि अंत्योदय अन्न योजना परिवार (एएवाई) में सबसे निर्धन व्यक्ति होते हैं और ये परिवार कानूनी रूप से प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के हकदार होते हैं, प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न पाने के हकदार होते हैं। इस अधिनियम के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की कोई श्रेणी नहीं है।

(ग): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी या परिवार को केवल आधार या बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के असफल होने, नेटवर्क/ कनेक्टिविटी/लिंकिंग से संबंधित मामलों, अन्य तकनीकी कारणों, अथवा लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक होने के कारण उनके पात्र कोटे की सब्सिडी के खाद्यान्न प्राप्त करने से मना नहीं किया जाएगा। यह भी सलाह दी जाती है कि लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक रूप से या आइरिस या ईपोश डिवाइस के माध्यम से आधार ओटीपी (लाभार्थी के मोबाइल पर एसएमएस), प्रमाणीकरण पीसीएस सबसे प्रचलित प्रणाली होनी चाहिए वैकल्पिक रूप से, पीडीएस-ओटीपी (लाभार्थी के मोबाइल पर एसएमएस) यदि उपलब्ध हो तो इसका उपयोग भी लेनदेन को प्रमाणित करने के लिए भी किया जा सकता है। यदि कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्यान्न वितरण के दौरान लाभार्थियों के प्रमाणीकरण की कोई अन्य पद्धति तैयार करता है, तो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसा वितरण किसी जिम्मेदार सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की मौजूदगी में हो ताकि उपयुक्त व्यक्तियों/लाभार्थियों तक खाद्यान्नों की डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। यह भी सुझाव दिया जाता है कि लेनदेन के बाद सभी लाभार्थियों को ईपीओएस उपकरणों से लेनदेन रसीदें दी जानी चाहिए।
